संख्या–427/आपदा प्रबन्धन/2004

प्रेषक,

राजकुमार सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़,
उत्तरकाशी, चम्पावत, अल्मोड़ा/नैनीताल,
टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास देहरादूनःदिनांक 11 मई, 2004

विषयः– वर्ष 2004–05 में सूखे से उत्पन्न स्थिति के बचाव एवं राहत कार्यो हेतु लेखाशीर्षक 2245 के अंतर्गत अतिरिक्त धनावंटन के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं.–360/आ.प्र./2004 दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शीतकाल में पर्याप्त वर्षा न होने से उत्पन्न सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त सूखे से प्रभावित जनपदों यथा– बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी को सूखे से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु संलग्न विवरणानुसार रू0 20–20 लाख तथा जनपद चम्पावत, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल एवं नैनीताल को सूखे से बचाव एवं राहत कार्यो हेतु संलग्न विवरणानुसार रू0 35–35 लाख अर्थात कुल रू0 2,75,00,000/– (रू0 दो करोड़ पिच्हत्तर लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इस धनराशि का आहरण उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2004 द्वारा स्वीकृत समस्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा और इसके आहरण के पूर्व शासन को भी सूचित कर दिया जायेगा। उक्त मदें यदि पूर्व में इंगित धनावंटन द्वारा आवंटित धनराशि की मदों से यदि भिन्न है, उसी स्वीकृति में इस धनराशि का आहरण पूर्व आवंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बिना भी किया जा सकता है उक्त को सुनिश्चित करने का दायित्व संबन्धित जिलाधिकारी का होगा।

2– धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यता के अनुरूप नियमानुसार ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि सूखे से प्रभावित परिवारों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अहेतुक सहायता, कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में व्यय की जायेगी तथा पेयजल मद में आवंटित धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के भुगतान हेतु व्यय की जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय। गलत उपयोग होने पर संबन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

4– आपदा राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टार जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मासिक व्यय विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रति संलग्न) पर अगले माह की 15

Shuka

तारीख तक निश्चित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा पूरे वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा आवंटित धनराशि मे से यदि बचत सम्भावित हो तो उसे माह फरवरी के 15 तारीख तक शासन को अवश्य सूचित किया जाय, तथा व्यय की गई धनराशि का कार्यालय महालेखाकार में सही मद में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह पर व्यय धनराशि के संबन्ध में कार्यालय महालेखाकार के आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय ताकि आंकड़ों के मिलान की कार्यवाही का निरन्तर अनुश्रवण होता रहे।

5– उक्त धनराशि के व्यय हेतु शेष सभी शर्ते शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 2004 के अनुसार ही होगी।

6– उक्त पर होने वाला कुल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर–800 अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.–76/वि.अनु.–3/2004 दिनांक 5.5.2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय
11.05.2004
(राजकुमार सिंह)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
3. श्री एल.एम.पन्त, अपर सचिव/वित्त एवं व्यय अनुभाग।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चम्पावत, अल्मोड़ा एवं नैनीताल,।।
5. डॉ. राकेश गोयल, राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त अनु.– 3, उत्तरांचल शासन।
7. धन आवंटन संबन्धी पत्रावली।
8. गार्ड फाइल।

(राजकुमार सिंह)
अपर सचिव

Shuka